प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित

कुचामन सिटी (सीमा सन्देश सं)। सोमवार को पुखराज सेन, जिला कलक्टर महोदय, डीडवाना-कुचामन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं जिला शिकायत निवारण समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम कल्प वर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, डीडवाना-कुचामन द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थिति कमेटी सदस्यों का स्वागत करते हूऐ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

वर्मा द्वारा खरीफ -2024 राजस्व फसल कटाई प्रयोगों की पार्ट -02 की प्रगति 95 प्रतिशत पूर्ण होने, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ तहत शत-प्रतिशत वितरण, पोस्ट हार्वेस्ट इन्टिमेशन तहत सर्वे पूर्ण होने एवं फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कम्पनी द्वारा दर्ज आपत्तियों पर अवगत कराया गया। जिला कलक्टर महोदय द्वारा लम्बित खरीफ 2024 फसल कटाई शत-प्रतिशत ऑनलाईन आगामी सप्ताह में पूर्ण करनें तथा बीमा प्रतिनिधि द्वारा लगायें गये आक्षेप को फसल कटाई प्रयोग नियमानुसार पायें जाने पर निरस्त करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही वर्मा द्वारा जिला स्तरीय फर्टिलाईजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टॉस्क फोर्स के गठन की जानकारी भी सदन में दी गई, जिस पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग को रबी मौसम में किसानों को मांग अनुरुप गुणवत्तायुक्त पर्याप्त फर्टिलाईजर उपलब्ध कराने एवं किसी भी प्रकार की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर महोदय द्वारा गंगाराम गोदारा, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग सें खरीफ फसलों की खरीद की समीक्षा कर खरीद किये जा रहें जिंसों को भण्डार गृह मे नियमित रुप से जमा कराकर किसानों को भुगतान समयबद्ध रुप सें किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में क्षैत्रिय एवं जिला प्रबंधक, ऐग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफॅ इण्डिया, अग्रणी जिला प्रबंधक, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, जिला प्रबंधक, नाबार्ड एवं उप निदेशक उद्यान उपस्थिति रहे।

जिला स्तरीय न्यायिक कर्मचारी क्रिकेट प्रतियोगिता

विजेता टीम मकराना-कुचामन का किया सम्मान समारोह

- **न्यायाधीश सुन्दरलाल खारोल एवं ज्ञानेन्द्र सिंह ने मैन ऑफ दा मैच रहे अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक प्रदीप चावला का किया सम्मान**

कुचामनसिटी (सीमा सन्देश सं)। दो दिवसीय जिला स्तरीय न्यायिक कर्मचारी क्रिकेट प्रतियोगिता का सम्मापन दिनांक 10-11-2024 को हुआ है, जिसमें मकराना-कुचामन की टीम ने फाइनल में नागौर की टीम को हराकर रोमंचक जीत हासिल करने पर बार संघ, कुचामन अधिवक्तागण दौलत खान, दराब खान, रमेश चैधरी, हरदेव सिंह चैधरी, प्रेमसिंह बीका, मोहम्मद इस्लाम, मुरलीधर जोशी, हनीफ मोहम्मद द्वारा विजेता रहे खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरूण बेरीवाल द्वारा डीडवाना मुख्यालय पर किया गया, जिसमें कुचामन-मकराना-परबतसर, डीडवाना, नागौर, मेड़ता मुख्यालय की टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये खारोल ने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के खेल अति-आवश्यक है। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल हमारी कार्य क्षमता, कौशल, दक्षता में वृद्धि करता है।

इस अवसर पर अपर जिला एवं न्यायाधीश सुन्दरलाल खारोल एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र सिंह ने न्यायिक कर्मचारी खिलाडी प्रदीप चावला, बाबूलाल एवं गुलशेर खान, दिलिप बारिया, राजपाल मीणा, अमित मीणा, मनीष मीणा, पवन भाटी, प्रदीप राव, लक्ष्मीकान्त सोनी, विक्रम सौलंकी, राजेन्द्र भाटी, प्रताप सिंह, ललित कुमावत, गौतम, विश्राम, गुमानाराम का उत्साहवर्धन किया।

अन्तरराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय शाहपुरा के रामदयाल महाराज आज आयेंगे जावला

डेगाना (सीमा सन्देश सं)। अन्तरराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय शाहपुरा श्री रामनिवास धाम ट्रस्ट के अन्तर्गत श्री रामद्वारा जावला में मंगलवार शाम को जागरण में रामदयाल महाराज पधारेंगे जिसमें अपनी मुख वाणी से श्रद्धालुओं को गुरु वाणी सुनाएंगे।संत श्री जगवीशराम जी रामस्नेही का देवलोकगमन होने पर मंगलवार को जागरण और बुधवार को भण्डारा भी होगा। जिसमें श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाएगा। यह कार्यक्रम श्री रामद्वारा मैन बस स्टैंड जावला में आयोजित होंगा जिसमें आसपास के रामस्नेही संप्रदाय के संत पधारेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर पोस्टर भी जारी किया गया इस मौके पर महेन्द्र गरवा, मुकेश ततेरवाल, पदमाराम मेघवाल, श्यामलाल, दलपत सिंह,ईश्वर ,शिवलाल जांगिड़ सोहनलाल, सुरेश सैन, पुखराज गुर्जर सहित भक्त गण मौजूद थे।

नागौर - विधानसभा उप चुनाव 2024

साइलेंस पीरियड के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी

नागौर (सीमा सन्देश सं)। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) श्री अरुण कुमार पुरोहित ने खींवसर विधानसभा उप चुनाव 2024 के दृष्टिगत तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार एक आदेश जारी किया है,जिसके अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ु) के तहत मतदान से 48 घंटे पूर्व से (साइलेंस पीरियड) मतदान समाप्ति तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी अपील, बल्क एसएमएस- आईवीआरएस/ओबीडी कॉल्स पर रोक है। इसी प्रकार आदेश के अनुसार धारा 126 ए के तहत एक्जिट पोल के संबंध में प्रावधान है, जिसके अनुसार 20 नवंबर 2024 सायं 6:30 बजे तक एक्जिट पोल पर भी हर प्रकार के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य प्रकारों से प्रकाशन पर रोक रहेगी। आदेश में निर्देशित किया गया है कि किसी भी अप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन एवं आदर्श आचार संहिता की उक्त अवधि के दौरान सर्विस चैनल से जारी होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों, चुनाव प्रचार की अपील और एक्जिट पोल आदि का प्रसारण नहीं कर सकते। धारा 126 के उल्लंघन पर 2 वर्ष की जेल की सजा और/अथवा जुर्माने का प्रावधान है।

अजमेर डिपो की नई रोडवेज बस शुरू

- **अजमेर से श्रीमाधोपुर के लिए रोडवेज बस की एक ओर सौगात**

सुरेरा (सीमा सन्देश सं)। अजमेर से श्रीमाधोपुर के लिए एक ओर नई रोड़वेज बस सोमवार को शुरू हुई, जो अजमेर से शाम 4 बजे रवाना हुई है।

मुख्य प्रबंधक महेंद्र सिंह राठौड़, यातायात प्रबंधक बलवंत सिंह राठौड़ बताया कि अजमेर डिपो की नई रोड़वेज बस अजमेर से शाम को 4 बजे रवाना होकर वाया किशनगढ़, रूपनगढ़, परबतसर,नांवा 6:45 बजे,मारोठ, सुरेरा में शाम 7:15 बजे, दांतारामगढ़ 7:30 बजे, खाटूश्यामजी से 8:15 बजे, रींगस 9 बजे ,श्रीमाधोपुर 9:30 बजे पहुंचेगी। वही रात्रि विश्राम श्रीमाधोपुर करेगी।

दूसरे दिन सुबह 8 बजे श्रीमाधोपुर से अजमेर के लिये रवाना होगी। जो वाया रींगस 8:20 बजे , खाटूश्यामजी 8:45 बजे, दांतारामगढ़ 9:30 बजे , सुरेरा 9:45 बजे,10:15 बजे नावां, दोपहर 1:45 बजे अजमेर पहुंचेगी। वही शाम 4 बजे अजमेर से श्रीमाधोपुर से प्रतिदिन रवाना होगी। जानकारी के अनुसार परिचालक बनवारी लाल शर्मा,अमित मित्तल ने बताया कि इससे पहले भी एक बस सेवा शुरू हो चुकी है। यह दो बस अजमेर डिपो की अजमेर से सीधा श्रीमाधोपुर से खाटूश्यामजी तथा अजमेर जाने के लिए सीधी बस मिल गई है। जिसे आने-जाने में श्रद्धालुओं,सहित आमजन को फायदा होगा तथा महिला यात्रियों को और वरिष्ठजन यात्रियों और दिव्यांग यात्रियों को इस रोडवेज बस से किराया में छूट मिलेगी और फायदा होगा।

खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव आज मनाया जायेगा

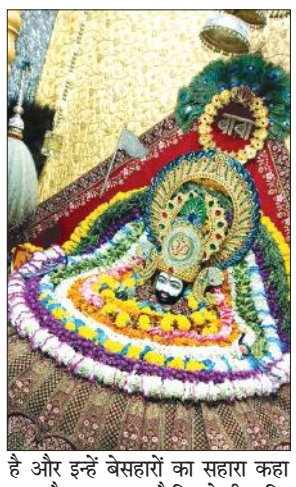

डेगाना (सीमा सन्देश सं)। शहर के चादारूण में स्थित बाबा श्याम मंदिर में मंगलवार को बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जिसमें श्याम भक्त डेगाना के सत्यनारायण मंदिर से भव्य निशान यात्रा श्याम भक्तो द्वारा निकाली जायेगी। शाम 8 बजे से मंदिर प्रांगण मे विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा।

रात्रि 12 बजे विशाल आतिशबाजी कर श्याम बाबा का श्याम भक्तौ द्वारा जन्मोत्सव मनाया जायेगा। इसके साथ ही श्याम जन्मोत्सव पर 13 नम्वर को सदर बाजार के वेंकेटेश मंदिर के निचे विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। जिसमे गायक कलककार नम्रता करवा मुम्बई,प्रदीप सोनी,शुभम टाकरान, राहुल महाराज अपने भजनो से शायाम भक्तो का मन मोहेगें। जुलूस के रूप में इकट्ठे होकर जयकारों के साथ मंदिर जाकर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनायेंगे। बाबा श्याम को कलयुग का देवता माना जाता है और इन्हें बेसहारों का सहारा कहा जाता है। यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति हार कर इनके दर पर आता है, बाबा उसे विजय दिलाते हैं। श्याम बाबा का जन्मदिन हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की ग्यारस तिथि,अर्थात एकादशी को मनाया जाता है। हालांकि कुछ भक्त फाल्गुन मास की ग्यारस तिथि को भी बाबा का जन्मदिन मनाते हैं।खाटू वाले बाबा का जन्मदिन पूरे देश में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है।भक्तों को बाबा के जन्मदिन का पूरे वर्ष बेसब्री से इंतजार रहता है। भक्तजन दूर-दूर से गाजे-बाजे के साथ श्याम मंदिर चादारूण में बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं।

इस विशेष दिन पर, मंदिर के पुजारी सबसे पहले बाबा को इत्र और चंदा मित्र से स्नान कराते हैं।स्नान के बाद, बाबा को सुंदर फूलों से सजाया जाता है, साथ ही मंदिर को भी फूलों और गुब्बारों से भव्यता प्रदान की जाती है।बाबा श्याम को सजाने के उपरांत, उन्हें मिश्री मावे का भोग अर्पित किया जाता है और इसके बाद केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में विभिन्न प्रकार के आयोजन,भजन और कीर्तन आयोजित किए जाते हैं।

भागवत कथा में सुनाया श्रीकृष्ण-रुक्मणी विवाह प्रसंग, श्रद्धालुओं ने की पुष्पवर्षा

डेगाना (सीमा सन्देश सं)। हरसौर कस्बे की शिव बगीची में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को कथावाचक विजयप्रकाश दीनानाथ आसोपा ने श्रीकृष्ण-रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण-रुक्मणी विवाह को एकाग्रता से सुना। श्रीकृष्ण-रुक्मणि का वेश धारण किए बाल कलाकारों पर भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।

श्रद्धालुओं ने विवाह के मंगल गीत गाए। प्रसंग में आसोपा ने कहा कि रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्रीकृष्ण से शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहता था। इसीलिए श्रीकृष्ण ने हरण कर रुक्मणी से विवाह किया। प्रसंग में बताया कि इंद्र को अपनी सत्ता और शक्ति पर घमंड हो गया था। उसका गर्व दूर करने के लिए भगवान ने ब्रज मंडल में इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी। इससे गुस्साए इंद्र ने ब्रज मंडल पर भारी बरसात कराई। प्रलय से लोगों को बचाने के लिए भगवान ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सात दिनों के बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। कथा व्यास के मुख से विवाह का विस्तार वर्णन सुनकर श्रद्धालु गदगद हो उठे।

कार्यवाही की मांग — विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार सहित आधारभूत सुविधाओं को पहुँचाया नुकसान

जोड़पुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़

- **विद्यालय के संस्थाप्रधान ने कुचामन थाने में दी रिपोर्ट**

कुचामन सिटी (सीमा सन्देश सं)। कुचामन ब्लॉक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़पुरा स्कूल में कुछ असामाजिक तत्वों ने विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार सहित भौतिक संसाधनों को काफी नुकसान पहुँचाया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय के संस्थाप्रधान टोडाराम चौधरी राजकीय उच्च मा. विद्यालय, जोडपुरा,कुचामन सिटी की ओर से कुचामन थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत कर थानाधिकारी को बताया कि रविवार को असामाजिक तत्वों द्वारा रा.उच्च माध्यमिक विद्यालय,जोड़पुरा के विद्यालय भवन के मुख्य दरवाजे व कमरों के ताले व दरवाजे तोडकर फर्नीचर व सेक्शन विंडो के कांच तोड दिये। बालक व बालिकाओं के शौचालय - मूत्रालय की दीवारों को गिरा दिया गया व शौचालयों के दरवाजे तोड़ दिये गये। चार दिवारी के अन्दर पेड-पौधों को तोड दिया गया। बिजली कनेक्शन की केबल को काटकर विद्यालय भवन के लोहे के दरवाजों व पेड़ो में नंगे तारों से करंट फैला दिया गया। पानी के टांके का ढक्कन तोडकर उसमें पत्थर व दुषित सामग्री डाली गई व बिजली ट्यूबवेल की केबल व स्टार्टर जला दिया गया।

छत के पाईपो को तोड़ दिया एवं कार्यालय कक्ष भण्डार व रसोईघर के ताले तोड़ने का प्रयास किया गया। पूर्व में भी इस राजकीय विद्यालय भवन के साथ कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। प्रधानाचार्य ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की मांग की।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013
शाखा कार्यालय : द्वितीय तल द गुमान प्रथम, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान)-302021

चल सम्पत्ति के विक्रय के लिए सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अन्तर्गत)

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी सूचना

जन सामान्य तथा विशेष रूप से निम्नलिखित ऋणधारक और सह-ऋणधारक या उनके विधिक वारिसों/प्रतिनिधियों (ऋणधारकों) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति जो **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल)** के पास गिरवी है, का कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, को नीचे उल्लेखित ऋणधारक व सहऋणधारकों से बकाया की वसूली के लिए 'जो है जहां है','जैसा है जो है' तथा 'जो भी वहां है' बिना किसी रिकोर्स के आधार पर **28-11-2024** को विक्रय किया जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि जमा का उल्लेख नीचे है। यहां यह सूचित किया जाता है कि इस सुरक्षित आस्ति/सम्पत्ति का विक्रय किसी स्थगन/बिना अन्तराल **ई-नीलामी द्वारा 28-11-2024 को अपराह्न 2 बजे किया जाएगा।** ई-नीलामी में भाग लेने के लिए टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को ईएमडी का डिमांड ड्राफ्ट सीलबंद लिफाफे में **27-11-2024 को सायं 5 बजे तक** या उससे पूर्व शाखा पता **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,** द्वितीय तल द गुमान प्रथम, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) 302021 को प्रस्तुत करना होगा।

सुरक्षित आस्ति/अचल सम्पत्ति का विक्रय 'जैसी है वहां जो स्थिति है' के आधार पर किया जाएगा, जिनका संक्षिप्त विवरण यहां निम्नानुसार है :

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋणधारक (ों)/सह-ऋणधारक (ों) विधिक वारिस (ों)/ विधिक प्रतिनिधि /जमानतदार(ों) के नाम	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	कब्जे का प्रकार
1)	TCHHF03510 00100084452 & TCHHF03510 0010008 4380 & 9884933	श्री सुरेन्द्र भारद्वाज श्रीमती स्नेहल भारद्वाज पत्नी सुधीन्द्र भारद्वाज मालिक के माध्यम से अनंत समाधान	ऋण खाता संख्या TCHHF035000100084452 के अधीन बकाया व आप द्वारा देय राशि रु. 16,30,857/-(रुपए सोलह लाख तीस हजार आठ सौ सतावन मात्र) तथा ऋण खाता संख्या TCHHF0351000100084380 के अधीन बकाया व आप द्वारा देय राशि रु. 16,21,585/-(रुपए सोलह लाख इक्कीस हजार पांच सौ पिचासी मात्र) तथा ऋण खाता संख्या 9884933 के अधीन बकाया व आप द्वारा देय राशि रु. 55,266/-(रुपये पचपन हजार दो सौ छियासठ मात्र) अर्थात कुल रु. 33,07,708/-(रुपये तैतीस लाख सात हजार सात सौ आठ मात्र) 31-10-2022	फ्लैट नं. 401- रु. 10,80,000/- एवं फ्लैट नं. 402- रु. 10,80,000/-	फ्लैट नं. 401- रु. 1,08,000/- एवं फ्लैट नं. 402- रु. 1,08,000/-	भौतिक
	अचल संपत्ति का विवरण: सम्पत्ति 1. सीपी-3,5 एवं 6, जैपनीज़ जोन, नीमराना अलवर, राजस्थान स्थित नीमराना हाइट के नाम से जाना जाने वाले कॉम्पलेक्स स्थित टावर-सी, चौथी मंजिल पर स्थित इकाई नं. 401, सुपर एरिया 465 स्क्वै. फीट। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखित सामूहिक सुविधाओं सहित। **सम्पत्ति 2.** सीपी-3,5 एवं 6, जैपनीज़ जोन, नीमराना अलवर, राजस्थान स्थित नीमराना हाइट के नाम से जाना जाने वाले कॉम्पलेक्स स्थित टावर-सी, चौथी मंजिल पर स्थित इकाई नं. 402, सुपर एरिया 465 स्क्वै. फीट। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखित सामूहिक सुविधाओं सहित।				
2)	9880881	श्री अंजनी कुमार ओझा श्रीमती साधना, श्री नीतीश कुमार पाण्डे	रु. 10,96,904/- (रुपये दस लाख छियानवे हजार नौ सौ चार मात्र) 30-07-2021	रु.9,25,000/- (रुपये नौ लाख पच्चीस हजार मात्र)	रु.92,500/- (रुपये बानवे हजार पांच सौ मात्र)	भौतिक
	अचल संपत्ति का विवरण: गांव टपूकड़ा, अलवर, तिजारा रोड, तह. तिजारा, जिला अलवर राजस्थान में स्थित स्टेटस रेजिडेंसी के टॉवर ए2 के पांचवें तल पर स्थित अचल सम्पत्ति जो आवासी फ्लैट नं. ए2-501 है, के समस्त खंड व हिस्से। माप लगभग 965 स्क्वै. फीट का सुपर एरिया, भूमि के उपर्युक्त अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित।				
3)	10184268 & 10278088	श्री दिनेश कुमार राव पुत्र श्री राम चन्द्र राव, श्री खुशाल राव पुत्र श्री दिनेश चन्द्र राव, श्रीमती राज कुमारी उर्फ राज कुमारी राव पत्नी श्री दिनेश चन्द्र राव	ऋण खाता संख्या 10184268 के अधीन बकाया व आप द्वारा देय राशि रु. 26,26,310/-(रुपए छब्बीस लाख छब्बीस हजार तीन सौ दस मात्र) तथा ऋण खाता संख्या 10278088 के अधीन बकाया व आप द्वारा देय राशि रु. 9,63,542/-(रुपए नौ लाख तरेसठ हजार पांच सौ बियालिस मात्र) अर्थात कुल रु. 35,89,852/-(रुपये पैंतीस लाख नवासी हजार आठ सौ बावन मात्र) 14-12-2022	रु.30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र)	रु.3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र)	भौतिक
	अचल संपत्ति का विवरण: राधा कृष्णा योजना, धांदोलाई, तरन ताल के सामने, भीलवाड़ा-311001 (राजस्थान) स्थित आवासीय सम्पत्ति सं. एच-101 (20'-10''+17'-10''/2×39'-06'') के सभी खंड एवं हिस्से। अधिमापन 763.53 स्क्वै. फीट। विक्रय संलेख में उल्लेखित सभी सामूहिक सुविधाओं सहित। **सीमाबद्ध : पूर्व :** सड़क 15.9' चौड़ी सड़क, **पश्चिम :** प्लॉट नं. एच-98, **उत्तर :** प्लॉट नं. एच-100, **दक्षिण :** प्लॉट नं. एच-102 का शेष भाग।				
4)	TCHHL03060 00100084991 & TCHIN03060 00100061726	श्री राज कुमार पुत्र श्री गोबिंद राम श्रीमती मीनू रानी पत्नी श्री राज कुमार	ऋण खाता संख्या TCHHL0306000100084991 के अधीन बकाया व आप द्वारा देय राशि रु. 19,54,235/-(रुपए उन्नीस लाख चौपन हजार दो सौ पैंतीस मात्र) तथा ऋण खाता संख्या TCHIN0306000100061726 के अधीन बकाया व आप द्वारा देय राशि रु. 2,79,546/-(रुपए दो लाख उन्यासी हजार पांच सौ छियालीस मात्र) अर्थात कुल रु. 22,33,781/-(रुपये बाईस लाख तैतीस हजार सात सौ इक्यासी मात्र) 18-10-2023	रु.20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र)	रु.2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)	भौतिक
	अचल संपत्ति का विवरण: गांव पिथावास और निवारू (हाथोज), आवासीय योजना मंगलम सिटी, एक्सटेंशन ब्लॉक I, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 (राजस्थान) स्थित आवासीय प्लॉट नं. I-58 (13'×35') के पूर्वी भाग के पश्चिमी हिस्से के सभी खंड एवं हिस्से। अधिमापन 50.55 स्क्वै. यार्ड्स। सीमाबद्ध : **पूर्व :** प्लॉट नं. I-58 का पूर्वी भाग, **पश्चिम :** प्लॉट नं. I-58 का आवासीय हिस्सा, **उत्तर :** प्लॉट नं. I-57, **दक्षिण :** 40 फीट सरकारी सड़क।				
5)	TCHHL03060 00100006521	श्री अरविन्द कुमार पूनिया पुत्र श्री चोखा राम उर्फ चोखा राम बिश्नोई, श्री चोखा राम बिश्नोई उर्फ चोखा राम पुत्र श्री मोबत राम श्रीमती गवरी देवी पत्नी श्री चोखा राम उर्फ चोखा राम बिश्नोई मैसर्स टाइल्स मार्ट उसके मालिक श्रीमती विमला पत्नी श्री अरविन्द कुमार पूनिया के माध्यम से	रु. 42,04,025/- (रुपये बियालीस लाख चार हजार पच्चीस मात्र) 25-04-2023	रु.65,00,000/- (रुपये पैंसठ लाख मात्र)	रु.6,50,000/- (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)	भौतिक
	अचल संपत्ति का विवरण: सनशाइन कृष्णा-III के नाम से जाना जाने वाला, इलाका विश्वेसरिया नगर, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर-302019 (राजस्थान) के प्लॉट नं. 115-116 की द्वितीय मंजिल पर निर्मित आवासीय फ्लैट सं. 203 के सभी खंड एवं हिस्से। बिना छत के अधिकार के। अधिमापन 1352.32 स्क्वै. फीट अर्थात 125.63 स्क्वै. मीटर्स। संलेख में उल्लेखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ।				

नीलामी के समय जन सामान्य व्यक्तिगत रूप से बोली(यां) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित है। यहां ऋणधारक(ों)/सह-ऋणधारक(ों) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **15 दिनों** के भीतर आगामी ब्याज सहित समस्त बकाया के पूर्ण भुगतान के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है, इसमें असफल होने पर अचल सम्पत्ति का विक्रय निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। ई-नीलामी को रोक दिया जाएगा यदि, जब 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास इस बात का सबूत पेश किया जाए या उन्हें इस बात से संतुष्ट किया जाए कि समस्त ब्याज एवं लागत (विक्रय की लागत सहित) सहित उक्त सुरक्षित बकाया देय राशि का भुगतान नीलामी से पूर्व कर दिया गया है।
इस विक्रय से जुड़े किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति का इस विक्रय निष्पादन प्रक्रिया के दौरान कोई कर्तव्य-अधिकार नहीं होगा तथापि अचल संपत्ति के विक्रय, बोली, अधिग्रहण या अधिग्रहण के प्रयास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हित नहीं होगा।
विक्रय का विषय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों के अंतर्गत होगा तथा निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा :

नोट: ई-नीलामी का आयोजन पोर्टल पर https://bankauctions.in पर 28-11-2024 को दोपहर 2.00 से सायं 3.00 के बीच 10 मिनट के प्रत्येक सीमित अंतराल के साथ किया जाएगा।

नियम व शर्तें : 1. अनुसूची में वर्णित विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना अनुसार कथन किए गए हैं, परन्तु इस उद्घोषणा में हुई किसी भी चूक, मिथ्या कथन या भूल के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि, बोलीदार संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अचल सम्पत्ति को नीलामी में पुनः रखना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्णय होगा। 2. अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। 3. बोली बढ़ाने की राशि **रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र)** रहेगी। 4. संपत्ति के क्रय हेतु प्रस्तुत सभी निविदाओं के साथ धरोहर राशि जो **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेन्स लि.,** के शाखा पते के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा होना आवश्यक है, असफल बोलीदाता को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा। एनइएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी भुगतान के लिए कृपया प्रधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें। 5. किसी भी उच्चतम बोलीदाता को क्रयकर्ता घोषित करना हमेशा ही एक विधिसम्मत प्रक्रिया होती है एवं उसे कानूनी रूप से पात्र माना जाता है, जबकि उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। यह प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर है कि जब ऑफर किया गया मूल्य स्पष्टरूप से यह संकेत कर रहा हो तो यह अनुचित है तो वह उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इनकार कर दे। 6. दर्ज किये गये कारणों से यह 'प्राधिकृत अधिकारी' का स्वनिर्णय का अधिकार है कि वह विक्रय को आगे बढ़ा दे या रोक दे। 7. सम्पत्तियों का निरीक्षण **21-11-2024** को **प्रातः 11 से सायं 5.00** बजे के मध्य किया जा सकता है। 8. प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे में क्रय मूल्य/बोली की राशि का पच्चीस प्रतिशत (जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी) राशि जमा करने पर व्यक्ति को क्रेता घोषित किया जाएगा, इस जमा में असफल रहने पर सम्पत्ति ताजा नीलामी/निजी संधि से विक्रय हेतु रखी जाएगी। 9. प्राथमिक रूप से उपरोक्त अनुसार राशि जमा करने की दशा में, क्रेता को संपत्ति की पुष्टि की दिनांक से 15वें दिन या इससे पहले, 15 वें दिन अवकाश या रविवार हो तो 15वें दिन के पश्चात प्रथम दिन तक प्राधिकृत अधिकारी के पास क्रय बोली राशि की शेष राशि जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में किसी चूक की स्थिति में सम्पत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ईएमडी सहित जमा **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेन्स लि.** द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता सम्पत्ति के सभी दावों को खो बैठेगा। 11. **टाटा केपिटल हाउसिंग फाइनेन्स लि.** को ज्ञात सभी अवरोध जो संपत्ति से संलग्न है : ऊपर दी गई सारणी के अनुसार। दावे, यदि कोई हो जो संपत्ति के संलग्न हो तथा अन्य ज्ञात विवरण की प्रकृति तथा मूल्य : ऊपर दी गई सारणी के अनुसार। संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर व विद्युत आदि के वैधानिक उत्तरदायित्व क्षेत्रों सहित अवरोधों के सम्बंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें। 12. किसी भी अन्य विवरण या ई-नीलामी की प्रक्रिया के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए सम्भावित बोलीदाता सेवा प्रदात्ता मैसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छठी मंजिल, मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, इसके कर्नाटक और गोआ के समन्वयक के माध्यम से, **मोब. नं. 8142000809,** srinivas@bankauctions.in और तेलंगाना और एपी मोब नं. 8142000064, prakash@bankauctions.in और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एनई राज्य, मोब नं. 814200030, pradhan@bankauctions. **तमिलनाडू और केरला में मोब नं. 8142000735,** dinesh@bankauctions.in और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और उत्तर राज्य मोब नं. 9515160064, prakash@bankauctions.in और महाराष्